



(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमौरिसिन्हा - चण्डीगढ़, पंजाब)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 782

दापर दिनांक 03/10.2025 निर्णय दिनांक 03/10.2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खाने नं.	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश		
38	हिमौरिसिन्हा	157	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 के आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। जो 01 अप्रैल 2017 से लागू हुआ।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम हिमौरिसिन्हा-म.ह. हिमौरिया खाता संख्या 257 में वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को शुद्ध किया जाकर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>		
			<p>हस्ताक्षर पटवारी 10/10/25</p>	<p>हस्ताक्षर गिरदावर 10/10/25</p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार ↓</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

पटवारी हस्ताक्षर  
तह.कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

हस्ताक्षर गिरदावर  
10/10/25

तहसीलदार(भू.श.) कपासन

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़